□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4335

19 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी चिकित्सा कॉलेजों म अत्यधिक फोस

4335. श्री बल्ली दुगा प्रसाद रॉवः
श्री उपेन्द्र सिह रावतः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या कई निजी चिकित्सा विश्वविद्यालय एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों हेतु अत्यधिक फोस वसूल रहे ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कारवाई करने के लिए अभिभावकों को ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अनुचित फोस वसूलने के लिए उनके विरुद्ध सख्त कारवाई करने हेतु सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह; और
(ङ) क्या सरकार ने अपने स्वयं के कोटे के अंतगत चिकित्सा कॉलेजों को फोस म वृद्धि को है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसम मध्यस्थता करने के लिए क्या कदम उठाए गए ह?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ङ): सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मामले म, संबंधित राज्य सरकार शुल्क निधारण के लिए उत्तरदायी है तथा निजी गैर-सहायताप्राप्त मेडिकल कॉलेजों के मामले म माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिदशों के अनुसरण म संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्षता म गठित समिति द्वारा शुल्क संरचना निर्धारित को जाती है। यह समिति को तय करना है कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायोचित है अथवा नहों तथा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क, संस्थान के लिए बाध्यकारी है।

*****